

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (91) निकामि/अनु/05/ 156

दिनांक- 26/8/2013


आदेश


राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अल्पदमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को सगई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है -

पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
01	सत्य सधना महाविद्यालय, न-दीपुर (गांधी) तहसी, टोडाभीम जिला, कर्नाली	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व आवंटित विषय संकाय

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/ दिशयजर सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित ग्राम स्थानीय निकाय/मगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व ध्याख्याता तथा अन्य अशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था निदेशालय से सांठिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करवायेगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस/एन०सी०सी/सेजरिंग एवं रेजरिंग (स्नाउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 जुलाई 2013 तक आवश्यक रूप में उपलब्ध करवायेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालना करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर सगई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।






निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

Satya Sadhana Mahavidhyalaya

Todabhim, Distt. Karnali को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, भा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, कर्नाली
- कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- सचिव, सम्बंधित संस्था/महाविद्यालय।
- सांठिकी शारान, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संश्लेषक पत्रावली।


SECRETARY
Satya Sadhana Mahavidhyalaya
Todabhim Distt. Karnali


SECRETARY
Satya Sadhana Mahavidhyalaya
Todabhim, Distt. Gangapur City


PRINCIPAL
Satya Sadhana Mahavidhyalaya
Todabhim, Distt. Gangapur City